न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 68/2019 दायरा दिनांक : 09.08.2019

उनवान

भैरू लाल पुत्र रत्ती लाल, जाति तेली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– रामगोपाल पुत्र रत्ती लाल, जाति तेली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ हाल मुकाम 1–र–22 महावीर नगर सैकण्ड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2– राधेश्याम पुत्र रत्ती लाल, जाति तेली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– रामस्वरूप पुत्र रत्ती लाल, जाति तेली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री महेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री कमल कुमार साहू एवं श्री जगमोहन मालव

अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 की ओर से

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

निर्णय दिनांक : 11.07.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 698/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया है तथा अपीलांट वृद्ध व्यक्ति है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के अभिभाषक ने नो–इन्ट्रक्शन प्लीड कर देने से अपीलांट के खिलाफ प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई । इस बाबत न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने अपना जवाब पेश कर रखा था एवं अपीलांट द्वारा प्रकरण में शहादत पेश करनी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अभिभाषक द्वारा नो–इन्ट्रक्शन प्लीड कर देने से हमारे विरूद्ध निर्णय पारित हो गया । विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी प्रकरण का निस्तारण मेरिट के आधार पर होना चाहिए जिसका भी इस निर्णय में अभाव है । ग्राम खेड़ा, तहसील खानपुर में खाता संख्या नया 196 पुराना 192 की आराजी खसरा संख्या 1571 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा है और सम्पूर्ण आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांट ने स्वार्जित आय से क्रय की थी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2019 अपास्त किया जावे ।

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए)
भू–प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । अपीलांट ने लिखित बहस में अंकित किया कि अपील संख्या 154/2016 दिनांक 04.09.2017 को अपीलांट की अपील पर माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया था कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण की साक्ष्य लेकर प्रकरण का नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकार दिनांक 28.11.2017 को उपस्थित होवे । यह कि अधीनस्थ न्यायालय को माननीय न्यायालय हाजा के आदेश की पालना करके अपीलांट की साक्ष्य, तनकी बनाकर निर्णय पारित करना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पालना नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का मेरिट पर निर्णय पारित करना था तकनीकी कारणों से नहीं । यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2019 को अपीलांट को सुने बिना प्राथमिक डिक्री जारी की वह अवैध और अमान्य है, निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने जवाब पेश कर रखा था, शहादत पेश करना था जो माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी बनाने पर ही संभव था । तनकी भी अधीनस्थ न्यायालय को बनाना था जो नहीं बनाकर कानूनी त्रुटि की है । उक्त प्रकरण में वकील सा. द्वारा अनायास नो–इन्ट्रक्शन प्लीड कर देने से अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जिसकी सूचना न तो वकील सा. द्वारा दी गई और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा । अपीलांट द्वारा वकील सा0 की पूरी फीस दे रखी थी लेकिन उनके द्वारा पैरवी न करके त्रुटि की गई

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह चौहान
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

है । अपीलांट वृद्ध, बीमार, पारिवारिक परिस्थिति के कारण सम्पर्क करने में असमर्थ रहा । अतः अपील रिमाण्ड फरमाई जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने भी लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है तथा अपीलांट के द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं करने व न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलांट के अधिवक्ता ने नो इन्ट्रेक्शन प्लीड किया है जिसमें अपीलांट की घोर लापरवाही रही है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी पारित की गई है वह विधि सम्मत है । प्रार्थी अपील में लाभ प्राप्त करने के लिए झूंठे तथ्य अंकित कर रहा है । अपीलांट के परिवार के अन्य सदस्य भी अपीलांट के अधिवक्ता से सम्पर्क कर सकते थे परन्तु अपीलांट द्वारा ऐसा नहीं किया गया है । अपीलांट पूर्व में भी अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर एक बार प्रकरण को रिमाण्ड करवाने का लाभ प्राप्त कर चुका है इसलिए अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है । रेस्पोडेंट व अपीलांट विवादित कृषि भूमि के रिकार्डेट खातेदार हैं जिनका 1/4 – 1/4 हिस्सा निहित है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी पारित की गई है जो विधि एवं कानून सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है । जिसमें हम किसी प्रकार का

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(सी. ग्रे.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/7/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(प्र. ग्रे.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

भैरू लाल पुत्र रत्ती लाल, जाति तेली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ ....अपीलान्ट्स	बनाम	1– रामगोपाल पुत्र रत्ती लाल, जाति तेली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ हाल मुकाम 1–र–22 महावीर नगर सैकण्ड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा 2– राधेश्याम पुत्र रत्ती लाल, जाति तेली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ 3– रामस्वरूप पुत्र रत्ती लाल, जाति तेली, निवासी हरीगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ 4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़ .... रेस्पोडेंट

अपील नं. **68/2019** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, खानपुर**

मु.द.नं0 **698/दावा/2018** निर्णय व डिक्री दिनांक – **26.06.2019**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 20 माह 06 सन् 2022

हाजरी **श्री महेन्द्र कुमार जैन** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री कमल कुमार साहू** एवं **श्री जगमोहन मालव** मिनजानिब अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 3 की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2019 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **11** माह **07** सन् **2022** को जारी किया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)

सत्यमेव जयते
कोटा